दिनांक 17.02.2021 को आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 17.02.2021 को मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त सभागार–गोण्डा में पूर्वान्ह 11.00 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर व श्रावस्ती तथा मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती व अन्य सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि माह–मार्च, 2021 के तृतीय सप्ताह में प्रदेश सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न विभागों के पूर्ण कार्यो के लोकार्पण हेतु पूर्ण तैयारी इसी माह में कर ली जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि पाइप्ड पेयजल योजनाओं का ऊर्जीकरण इसी सप्ताह में पूर्ण कराया जाय। इसी प्रकार लाभार्थीपरक कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाय।

<u>लघुसिचाई **कार्यक्रम**</u>:–कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान राज्य भूजल संरक्षण मिशन के सम्बन्ध में प्र0अधिशाषी अभियन्ता, लघु सिचाई द्वारा बताया गया कि अभी कोई धनराशि प्राप्त नही हुई है, धनराशि की प्रत्याशा में कुछ कार्य करा दिये गये है। यह भी अवगत कराया गया कि इस सप्ताह में धनराशि अवमुक्त होने की सम्भावना है।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0वि0अधि0/अधिशाषी अभियन्ता,लघु सिचाई)

<u>नहरों में टेल तक पानी पंहुचाना</u>:– समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, सिचाई विभाग, गोण्डा द्वारा बताया गया कि विभागीय मद की धनराशि से शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये है तथा जनपद–गोण्डा में जिला योजना मद में कुछ धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे कार्य कराये गये है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु सक्षम स्तर पर पत्राचार करते हुये धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रयास किया जाय एवं कराये जा रहे कार्यो की नियमित समीक्षा की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0वि0अधि0/अधीक्षण अभियन्ता,ड्रेनेज मण्डल, सिचाई विभाग)

<u>कृषि विभाग</u>:–सोलर फोटोवोल्टैइक सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना की समीक्षा के दौरान संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि अर्न्तगत 2एच0पी0डी0सी0, 2एच0पी0ए0सी0, 3एच0पी0डी0सी0, 3एच0पी0ए0सी0 तथा 5एच0पी0ए0सी0 सोलर पम्पों हेतु 244 कृषकों द्वारा बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है किन्तु इस मण्डल के सभी जनपदों हेतु नामित 03 संस्थाओं द्वारा आपूर्ति नही की जा रही है। इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारी से अपेक्षा की गयी कि नामित संस्थाओं से वार्ता कर आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाय, यदि वार्ता के बाद भी संस्थाओं द्वारा आपूर्ति नही की जाती है, तो इन संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाय तथा इसका निस्तारण 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित कराया जाय।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि सुधार हेतु लम्बित डाटा के अन्तर्गत जनपद–बहराइच व बलरामपुर की सूचना स्तम्भ–15 व 18 में

त्रुटिपूर्ण है, इसे ठीक कराया जाय। डाटा मिसमैच के सम्बन्ध में जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा बताया गया कि कतिपय डाटा आधार कार्ड से, कुछ नाम आदि गलत होने के कारण मिसमैच हो रहे है तथा बैंक स्तर पर भी समस्या आ रही है। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि डाटा अपडेट किये जाने के उपरान्त पोर्टल पर डाटा दर्शानें लगभग 03 सप्ताह तक का समय लग जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि डाटा मिसमैच के निस्तारण सम्बन्धित विभाग तथा बैकों से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारित कराया जाय और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाय।

फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि इस माह में स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही की जायेगी। जनपद–बहराइच में अभी तक एक कृषक का स्वीकृत हुआ है। संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया फसल बीमा योजनान्तर्गत मण्डल में एक ही कम्पनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्श कार्य कर रही है, जिसके द्वारा कृषकों को फसल बीमा के क्लेम आदि की स्वीकृति/भुगतान में अपेक्षित प्रगति नही की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा जलभराव से फसल की क्षति होने पर बीमा का लाभ कृषकों को नही दिया जा रहा है, बताया जाता है कि यह उनके मापदण्ड में नही है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि खरीफ गोष्ठी की बैठक में फसल बीमा की समस्या के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को अवगत कराया जाय। संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में मण्डल स्तर से पत्राचार किया गया है तथा जनपद स्तर से पत्राचार किये जाने की अपेक्षा की गयी।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त निदेशक,कृषि)

पशुपालन विभाग:– समीक्षा के दौरान निराश्रित पशुओं की संख्या अधिक होने पर पुर्नविचार के सम्बन्ध में उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि यह संख्या भारत सरकार के पोर्टल पर फीड है, जनपद–गोण्डा से पत्राचार किया गया था, किन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी है। जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा ईयर टैगिंग कराये जाने हेतु उपनिदेशक, पशुपालन से अपेक्षा की गयी। उपनिदेशक, पशुपालन द्वारा बताया गया कि पोर्टल पर अपडेटिंग में समस्या से अवगत कराये जाने पर निर्देशित किया गया कि इसका निस्तारण विभागीय स्तर पर सुनिश्चित कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार पत्राचार भी कराया जाय। टीकाकरण के सम्बन्ध में बताया गया कि गोण्डा/श्रावस्ती की प्रगति कम है, इसकी प्रगति बढाई जाय। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि नियमानुसार कैम्प लगवाकर टीकाकरण की प्रगति में सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अपर निदेशक,पशु पालन)

मत्स्य विभाग:– प्र0उपनिदेशक, मत्स्य द्वारा बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति कर ली गयी है। जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा बताया गया कि जनपद–गोण्डा में समीक्षा के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि लगभग 300तालाब ऐसे है, जो 10वर्षो से पट्टे पर है, उनका फिर से प्रकाशन कराया जा रहा है तथा गोण्डा में 327 तालाबों का पंजीकरण कराया गया है। अन्य जनपदों के

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे भी अपने जनपद में मत्स्य विभाग के तालाबो की समीक्षा कर ली जाय एवं तदोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप निदेशक,मत्स्य)

उद्यान विभाग:– उपनिदेशक, उद्यान द्वारा बताया गया कि औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत दिनांक 31, जनवरी, 21 को धनराशि अवमुक्त हो गयी है, जिसके सापेक्ष लक्ष्य भी निर्धारित कर दिये गये है। अभी 25प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि इस योजना में भी धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा लक्ष्य भी आ गये है। प्राप्त धनराशि में राज्यांश व केन्द्रांश सम्मिलित है। बैठक हो गयी है एवं कार्य प्रारम्भ है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि उक्त कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करते हुये समयबद्ध कियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप निदेशक,उद्यान)

विद्युत विभाग:– समीक्षा के दौरान मुख्य अभियन्ता, विद्युत द्वारा जनपदवार शासकीय विभागों के विद्युत बकाये की धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि विभागवार समीक्षा करते हुये विद्युत विभाग के बकाये का निस्तारण कराया जाय। मुख्य अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि जलनिगम के पाइप्ड पेयजल योजना के अर्न्तगत अवशेष परियोजनाओं में ऊर्जीकरण का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराया जाय। निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों की समीक्षा के दौरान ऊजीकरण हेतु मण्डल में लम्बित 101 प्रकरणों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि इन प्रकरणों को अविलम्ब निस्तारित कराया जाय। अवगत कराया गया कि मण्डल में समय सीमा के उपरान्त कोई प्रकरण लम्बित नही है।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, विद्युत)

सहकारिता विभाग:– वसूली की प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कराकर वसूली सुनिश्चित कराया जाय। इसमें सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता) व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर निस्तारण कराया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि वसूली के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारी पृथक से समीक्षा बैठक सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपनिबन्धक, सहकारिता)

लोक निर्माण विभाग:–समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 द्वारा बताया गया कि जनपद–गोण्डा में गतवर्षो की अनजुड़ी बसावट के मद में धनराशि प्राप्त हुई है। निर्देश दिये गये कि अन्य जनपद भी जानकारी कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये। नई सड़कों के निर्माण में जनपद–बलरामपुर की प्रगति अत्यन्त कम मात्र–48प्रतिशत पाई गयी। निर्देश दिये गये कि इसकी समीक्षा कर प्रगति बढाई जाय। मुख्य विकास अधिकारी–बलरामपुर द्वारा बताया गया कि धनराशि के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया गया है। धनराशि अभी अपेक्षित है। यह भी अवगत कराया गया कि

गतवर्षो के अनजुड़ी बसावट तथा पूर्वान्चल विकास निधि, राज्यांश की धनराशि अभी प्राप्त नही हुई है। निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर पत्राचार सुनिश्चित कराया जाय। 50करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के अन्तर्गत जनपद–बलरामपुर कोयलाबासा मार्ग के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0नि0 द्वारा बताया गया कि वन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त हो गयी है किन्तु निर्धारित चौड़ाई में एन0ओ0सी0 नही मिली है, 6मीटर चौड़ाई में प्राप्त हुई है। कार्य प्रारम्भ है तथा धनराशि भी अतिशीघ्र अवमुक्त होने की सम्भावना है। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि श्रावस्ती में जिला जेल हेतु प्रेषित रिवाइज्ड स्टीमेट की स्वीकृति अभी प्राप्त नही हुई है, जिससे कार्य अवरूद्ध है। निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर पत्राचार कर प्रयास किया जाय तथा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गो के अनुरक्षण के अर्न्तगत सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि जो धनराशि शासन/मुख्यालय से मांगी जानी है, उसके सम्बन्ध में नियमानुसार मांग पत्र प्रेषित किया जाय। अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बताया गया कि निर्मित हो रहे कस्तूरबा बालिका विद्यालय के द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त नही होने के कारण कार्य सम्पादन में समस्या हो रही है। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि निर्मित हो रहे कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की समीक्षा कर नियमानुसार द्वितीय किश्त अवमुक्त करायी जाय तथा निर्माण कार्यो में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0)

<u>नियोजन विभागः</u>– समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि जनपद में निर्माणाधीन विभिन्न योजनान्तर्गत भवन निर्माण के कार्यो की समीक्षा कर ले तथा जो कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्ण हो गये है, उन्हे प्राथमिकता के आधार पर मार्च, 2021 तक नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित कराया जाय। एम0एस0डी0पी0 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन कार्यो पर द्वितीय किश्त प्राप्त नही हुई है, उनके लिये उपभोग प्रमाण पत्र भेजते हुये मांगपत्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप निदेशक,अर्थ एवं संख्या व अल्पसंख्यक)

<u>स्वास्थ्य विभागः</u>–समीक्षा के दौरान अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा बताया गया कि कोविड–19 के अन्तर्गत वैक्सिनेसन का कार्य चल रहा है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग व अन्य फ्रन्टलाइन से सम्बन्धित कर्मियों को वैक्सिन लगाया गया है, जिसमें लगभग 85प्रतिशत प्रगति हुई है। उन्ही कर्मियों को लगना शेष है, जो बीमार है, गर्भवती है अथवा नही लगवाना चाहते है। निर्देशित किया गया कि प्रयास कर उन्हे भी वैक्सिन लगवाई जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जाय। यह भी अवगत कराया गया कि कोविड के मरीजों के लिये वर्तमान में एल–2 व एल–3 वार्डो को चालू रखा गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (गोल्डेन कार्ड) की प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में सभी जिलाधिकारी व अपर निदेशक, चिकित्सा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाय तथा रविवार को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले में गोल्डेन कार्ड बनवाकर वितरण कराये जाने के कार्य में प्रगति लायी जाय तथा अधिक से अधिक परिवारों को कवर करते हुये लाभान्वित कराया जाय किन्तु यह ध्यान रखा जाय कि गोल्डेन कार्ड का दुरूपयोग न होने पाये। परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये नियमानुसार कैम्प लगवाकर अधिक से अधिक केस कराये जाय तथा प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–बलरामपुर की प्रगति अधिकांश मदों में शून्य दर्शायी गयी है, जिलाधिकारी–बलरामपुर इसकी समीक्षा कर प्रगति में सुधार लाये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश (वित्तीय प्रगति) के अन्तर्गत प्रगति कम पाये जाने पर सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि मदवार समीक्षा करते हुये उपलब्ध धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित कराया जाय तथा समय–समय पर आडिट भी कराया जाय। निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में अपर निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा बताया गया कि विभाग की निर्माणाधीन 9 परियोजनाए 70प्रतिशत तथा 03 परियोजनाए 90प्रतिशत पूर्ण है। निर्देशित किया गया कि 90प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में इस माह के अन्त तक नियमानुसार हस्तांतरित कराया जाय तथा 70प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को माह–मार्च, 2021 तक हस्तांतरित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अपर निदेशक,चिकि0स्वा0एवं प0क0)

पंचायती राज विभाग:–समीक्षा के दौरान उपनिदेशक, पंचायत द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय के अन्तर्गत भूमि व अन्य विवाद के कारण मण्डल में अब मात्र 34सामुदायिक शौचालय अनारम्भ है तथा 2540 पूर्ण है, शेष सामु0शौचालय निर्माणाधीन है। निर्मित शौचालयों को ओ0डी0एफ0 प्लस एप जियो टैग कराया जा रहा है, अब तक 2393 सामु0शौचालयों का जियो टैग किया जा चुका है। पंचायत भवन के अन्तर्गत मण्डल में 198 पंचायत भवन अनारम्भ पाये जाने की स्थिति में सभी जिलाधिकारी से अपेक्षा की गयी कि इसकी ग्रामवार समीक्षा की जाय तथा भूमि की अनुपलब्धता व अन्य विवादों का निस्तारण कराते हुये अनारम्भ पंचायत भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। प्रगति कम पाये जाने के सम्बन्ध में उपनिदेशक, पंचायत द्वारा बताया गया कि धनराशि उपलब्ध नही होने के कारण प्रगति कम है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि पंचायती राज विभाग के सभी कार्यो की नियमित समीक्षा की जाय तथा सामु0शौचालय तथा पंचायत भवन के निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपनिदेशक,पंचायत)

नगर विकास:– अमृत योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति तथा पार्क का कार्य जनपद–गोण्डा व बहराइच में जल निगम विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी –गोण्डा/बहराइच से अपेक्षा की गयी कि जलापूर्ति तथा पार्क से सम्बन्धित कार्यो की नियमित समीक्षा करते हुये कार्य को समय से पूर्ण कराया जाय तथा कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता विशेष ध्यान रखा जाय।पाइप्ड पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी

से अपेक्षा की गयी कि जो कार्य 50प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो गये है, उन्हे प्रयास कर मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम)

आई0सी0डी0एस0:– समीक्षा के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी–गोण्डा द्वारा बताया गया कि गतवर्षो से अब तक मण्डल में 269 आंगनबाड़ी भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष 219 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि अवशेष 50 आंगनबाड़ी केन्द्रों को माह–मार्च,21 तक पूर्ण कराया जाय तथा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के मानक एवं गुणवत्ता का नियमानुसार जांच कराया जाय। पोषण अभियान की समीक्षा में प्रगति कम पाये जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्यालय बन्द होने के कारण प्रगति में अपेक्षित सुधार नही हो सका है, अब विद्यालय खुलने के उपरान्त आगामी माहों की प्रगति में अपेक्षित सुधार कर लिया जायेगा। आयरन टेबलेट वितरण के सम्बन्ध में बताया गया कि इस उपलब्ध नही है, 03 दिवस में आने की सम्भावना है। निर्देश दिये गये कि इस कार्यक्रम की समीक्षा मा0उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा रहा है। अतएव विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी–गोण्डा)

ग्राम्य विकास विभाग:– प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) 2019–20 के अन्तर्गत जनपद–गोण्डा में 06, बलरामपुर में 01, बहराइच में 64 तथा श्रावस्ती मे 07 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त नही हुई। सभी मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि इसकी समीक्षा कर नियमानुसार अविलम्ब द्वितीय किश्त अवमुक्त करायी जाय तथा आवासों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) 2020–21 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि स्वीकृत आवास के सापेक्ष लाभार्थियों को नियमानुसार प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त अवमुक्त की जाय तथा निर्माण कार्य को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराया जाय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति कम पाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी–बलरामपुर द्वारा बताया गया कि सी.आर.पी. टीम आ गयी है, इस माह की प्रगति में अपेक्षित सुधार हो जायेगा। मनरेगा के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी–श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 हेतु लेबर बजट तैयार कर मुख्यालय भेजा जा चुका है। सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि ग्राम्य विकास विभाग के सभी कार्यो की नियमित समीक्षा करते हुये प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी)

खाद्य एवं रसद:–समीक्षा के दौरान उपायुक्त, खाद्य द्वारा बताया गया कि आधार सीडिंग के अन्तर्गत युनिट में 99प्रतिशत तथा मुखिया में 98प्रतिशत प्रगति हुई है। 02 प्रतिशत शेष है, उनके सीडिंग हेतु प्रयास किया जा रहा है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी से अपेक्षा की गयी कि खाद्य एवं रसद विभाग के आधार सीडिंग डाटा के सापेक्ष जो लाभार्थी सोशल सेक्टर व अन्य कार्यक्रमों में आच्छादित

है, उनका डाटा सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाय, जिससे उन्हे समय से लाभान्वित किया जा सके। रिक्त दूकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में उपायुक्त, खाद्य द्वारा बताया गया कि 15मार्च,2021 तक रिक्त दूकानों के सापेक्ष शतप्रतिशत दूकानों का चयन पूर्ण करा लिया जायेगा।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त, खाद्य)

सूक्ष्म लघु एवं **मध्यम उद्यमः**– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन योजना तथा ओ0डी0ओ0पी0 की समीक्षा के दौरान प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि यह सुनिश्चित कराया जाय कि बैकों से जो आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाय उनका वितरण भी समय से कराया जाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग तथा बैकों की बैठक कराकर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त निदेशक,उद्योग)

धान क्रय की समीक्षाः– समीक्षा के दौरान सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा मण्डल के सभी जनपदों में धान क्रय की प्रगति से अवगत कराया गया। बताया गया कि वर्तमान में धान क्रय केन्द्र संचालित नही हो रहे है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को निर्देशित किया गया कि धान क्रय केन्द्रों पर धान न रखा जाय। क्रय के सापेक्ष शतप्रतिशत धान निर्धारित संस्थाओं को भेजा जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/उपायुक्त,खाद्य)

स्वतः रोजगार योजनाः– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान प्र0संयुक्त आयुक्त, उद्योग तथा क्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैकों को प्रेषित/स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष ऋण वितरण समय से सुनिश्चित कराया जाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैकों से समन्वय स्थापित किया जाय और यदि बैंक से कोई हो रही हो, तो अविलम्ब जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाय। निर्धारित लक्ष्य को 31.03.2021 तक पूर्ण कराया जाय। सभी रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष ध्यान दिया जाय। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद–बलरामपुर के अतिरिक्त सभी जनपदों की प्रगति अत्यन्त कम है। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि स्वतः रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, उद्योग/क्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी)

श्रम विभागः– समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। जिलाधिकारी–गोण्डा द्वारा बताया गया कि जनपद–गोण्डा में लगभग 40000 श्रमिकों के पंजीकरण का नवीनीकरण नही किया गया है तथा काफी धनराशि विभाग

के पास उपलब्ध है। निर्देश दिये गये कि अन्य जनपदों में भी देखा जाय तथा ऐसे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराकर प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपश्रमायुक्त)

समाज कल्याणः–समीक्षा के दौरान आधार सीडिंग प्रगति कम पाये जाने पर उपनिदेशक, समाज कल्याण को निर्देशित किया गया कि खाद्य एवं रसद विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके विभाग द्वारा किये गये 98 प्रतिशत आधार सीडिंग का डाटा के अनुसार समाज कल्याण विभाग के लाभार्थीवार चेकिंग करा ली जाय। जिससे आधार सीडिंग से होने वाले समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि अपने जनपद में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आधार सीडिंग से सम्बन्धित समस्याओं की समीक्षा कर निस्तारण कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपनिदेशक,समाज कल्याण)

गन्ना मूल्य भुगतानः– इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, गन्ना द्वारा बताया गया कि जनपद–बलरामपुर की चीनी मिल इटईमैदा तथा जनपद–गोण्डा की कुदुरखी चीनी मिल में इस सत्र का भुगतान प्रारम्भ नही किया गया है, पहले गतवर्ष के बकाये का भुगतान किया जा रहा है, इसके बाद इस सत्र के गन्ने का भुगतान किया जायेगा। जिलाधिकारी–गोण्डा/बलरामपुर से अपेक्षा की गयी कि इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त निदेशक,गन्ना)

कन्या सुमंगला योजनाः–समीक्षा के दौरान उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद–श्रावस्ती की प्रगति कम थी, किन्तु इधर सुधार हुआ है। प्रगति संतोषजनक है। यह भी अवगत कराया गया कि मण्डल में अग्रसारित आवेदन पत्रों 41430 के सापेक्ष 32140 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अवशेष 9290 आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर लम्बित है। सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि खण्ड विकास अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर लम्बित आवेदन पत्र की समीक्षा कराकर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार लाभान्वित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधि0)

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि सभी मुख्य विकास अधिकारीं व मण्डलीय अधिकारी मण्डलीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

01/07/2021

(एस0वी0एस0 रंगाराव)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल–गोण्डा।

पत्रांक 1135/बैठक कार्यवृत्त/2020–21 दिनांक 01-3-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव,कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
2. जिलाधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
3. मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
4. सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी,देवीपाटन मण्डल।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0,गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संयुक्त विकास आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।